नियम 31 : अपील में लिए जा सकने वाले आधार

अपीलार्थी, अपील अधिकरण की अनुमति के बिना, अपील के प्ररूप में उल्लिखित न किए गए किसी आधार के समर्थन में आग्रह नहीं करेगा या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, किन्तु अपील का विनिश्चय करते समय अपील अधिकरण अपील के प्ररूप में उल्लिखित आधारों या इन नियमों के अधीन अपील अधिकरण की अनुमति से लिए गए आधारों तक ही सीमित नहीं होगा :

परंतु अपील अधिकरण किसी अन्य आधार पर अपना विनिश्चय तब तक नहीं देगा जब तक कि उसमें प्रभावित होने वाले पक्षकार को उस आधार पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर न मिल गया हो।